30

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/2507 – विरूद्व आदेश दिनांक 17–7–2017 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड – प्रकरण कमांक 46/2016–17 निगरानी

1– रबिन्द्र कुमार 2– रमाकान्त
पुत्रगण कृपाराम ग्राम कनावर मजरा भगत
की गढ़िया तहसील व जिला भिण्ड ———आवेदकगण

विरूद्व

ठाकुर कनक विहारी राम आश्रम
विजयराघव कुॅज केदार बन वृन्दावन
व्दारा महन्त रामभूषण दास उर्फ राधेश्याम
गुरू विजयराम निवासी ग्राम खनेता
तहसील गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 6 – 03 –2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के प्रकरण कमांक 46/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–7–2017 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने आवेदकगण के विरूद्व ठाकुर कनक विहारी राम आश्रम विजयराघव कुॅज केदार बन वृन्दावन के नाम की ग्राम कनावर मजरा भगत की गढ़िया तहसील व जिला भिण्ड स्थित भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 1.702 हैक्टर (आगे

जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर जबरन कब्जा करने के आधार पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के अंतर्गत तहसीलदार भिण्ड के यहॉ दावा प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार भिण्ड ने प्रकरण कमांक 01/2016–17 अ–70 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 7–7–17 पारित किया एंव वादग्रस्त भूमि पर से आवेदकगण को बेदखल करने के आदेश के साथ अवैध कब्जा करने के कारण भूमि के बाजारू मूल्य का 20 % रू. 4,42,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के यहॉ अपील मेमो के साथ मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 का आवेदन प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रस्तुत होने के उपरांत अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–2017 से प्रकरण पॅजीबद्व करने एंव रिस्पाण्डेन्ट के साथ रिकार्ड तलबी के आदेश दिये एंव धारा–52 के आवेदन पर विचार हेतु प्रकरण में आगामी तिथि 11–8–17 नियत की। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के इसी अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–17 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है । अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड ने एक ओर अपील को दर्ज किये जाने का आदेश दिया है और दूसरी ओर बिना कोई बताये स्थगन ओवदन पत्र विचार हेतु नियत किया है जो न्यायोचित नहीं है। उन्होंने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी ने स्थगन आवेदन को अप्रत्यक्ष रूप से लम्बित रखने में कानूनी एंव तथ्यात्मक भूल की है। प्रारंभिक न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप आवेदकगण को कब्जे से बंचित होने की संभावना एंव अपूर्तनीय हानि होने की संभावना के कारण स्थगन आवेदन पर विचार करना चाहिये था। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी के **आदेश दिनांक 17–7–2017 को निरस्त करने की मांग रखी।**

अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि भूमि मंदिर की है एंव निशःक्त मूर्ति भूमिस्वामी

भूमिस्वामी है जिसकी भूमि पर आवेदकगण जबरन कब्जा किये है । अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दि. 17–7–17 में विधिक प्रकिया अपनाते हुये प्रकरण दर्ज करके धारा 52 के आवेदन पर निर्णय के पूर्व अनावेदकगण को तलब करने,रिकार्ड मंगाने के आदेश दिये है जिससे प्रकरण की पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके । इस अंतरिम आदेश से आवेदकगण को किसी प्रकार की हानि नहीं है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 17–7–17 को अपील प्रस्तुत होने के उपरांत प्रकरण दर्ज करने एंव रिस्पा0 को तलब करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड देखकर धारा–52 के आवेदन पर सुनवाई हेतु प्रकरण में आगामी पेशी 11–8–17 को नियत की है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण लम्बित रखने एंव मंदिर पेटे की निशःक्त मूर्ति भूमिस्वामी की भूमि पर जबरन कब्जा बनाये रखने के उद्वेश्य से यह निगरानी की है क्योंकि आगामी पेशी 11–8–17 पर अनुविभागीय अधिकारी के के समक्ष आवेदकगण को धारा 52 के आवेदन पर सुनवाई करने का अवसर प्राप्त था , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के अंतरिम आदेश दिनांक 17–7–17 में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है ऐसी स्थिति में निगरानी में विधिक वल न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के प्रकरण कमांक 46/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 17–7–2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर